

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 124/2024

पाताराम गोदपुत्र सोनाराम जाति मेघवाल
निवासी सिन्धासवा चौहान, तहसील गुडामालानी
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब न अ म

1. चेनाराम पुत्र दुर्गाराम
2. सांवलाराम पुत्र दुर्गाराम
3. मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम
4. चेलाराम पुत्र वरधाराम
5. टीपूदेवी पत्नी वरधाराम
6. भगाराम पुत्र सुजाराम
7. मीरादेवी पत्नी सुजाराम
8. जेसाराम पुत्र रावताराम
9. सुजानाराम पुत्र चिमनाराम
सभी जाति मेघवाल, निवासीगण सिन्धासवा चौहान
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर
10. सरपंच ग्राम पंचायत बारूडी
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर
11. सरपंच ग्राम पंचायत सिन्धासवा चौहान
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
जिला बाडमेर



अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड
अधिकारी गुडामालानी दिनांक 28 फरवरी 2022
राजस्व अपील संख्या 03/2021 अनवान चेनाराम
व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5 व 8
रेस्पो. संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 24 जुलाई 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा अपील संख्या
3/2021 चेनाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारूडी में पारित निर्णय दिनांक 28

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 मई 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 से 8 चेनाराम आदि ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील पेश कर ग्राम सिन्धासवा चौहान स्थित आराजी खसरा संख्या 17 व 164 कुल रकबा 15 बीघा बाबत अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 875 दिनांक 20 दिसम्बर 2018 खारिज किये जाने एवं स्वयं के पक्ष में म्युटेशन की कार्यवाही बाबत निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपील जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 फरवरी 2022 को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन का खारिज कर दिया गया एवं प्रकरण धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार जांच किये जाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिन्धासवा चौहान स्थित आराजी खसरा संख्या 17 व 164 कुल रकबा 15 बीघा पूर्व में कसुम्बी पत्नी सोनाराम की खातेदारी की भूमि थी, कसुम्बी के देहान्त के बाद उक्त भूमि म्युटेशन दिनांक 20 दिसम्बर 2018 अपीलाण्ट पाताराम के नाम दर्ज हुई। उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के करीब 2 साल बाद रेस्पो. संख्या 1 से 8 ने वादग्रस्त भूमि बाबत अपने पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत कराने हेतु विचारण न्यायालय में अपील पेश कर जाहिर किया कि कसुम्बी व उसके पति सोनाराम के कोई सन्तान नहीं थी, और न ही उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी को गोद (दत्तकग्रहण) लिया था। अतः सोनाराम के भाई चिमनाराम व रावताराम उसके वारिसान है। विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश उक्त अपील स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन का खारिज कर दिया गया एवं प्रकरण धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार जांच किये जाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत: नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय में विधिवत जबाब प्रस्तुत कर प्रथम अपील का विरोध किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में वर्तमान अपील के अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये आधारों पर कोई गौर ही नहीं किया गया। अपीलाण्ट पाताराम को वादग्रस्त आराजी की पूर्व खातेदार कसुम्बी के पति सोनाराम ने विधिवत रस्म अदायगी कर दत्तकग्रहण किया था और तब से अपीलाण्ट गोदपुत्र की तरह सेवा-चाकरी करते हुए उनके साथ ही रहता था। स्वयं कसुम्बी ने अपनी खातेदारी भूमि एवं समस्त चल-अचल सम्पत्ति का अवसीयतनामा गोदपुत्र अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में कर दिया था। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से

अतिरिक्त अभिलेख अनुबन्ध
अध्यक्ष



अपीलाण्ट पाताराम को गोदपुत्र मानते हुए म्युटेशन स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद रेसपो. संख्या 1 से 8 को पूर्व खातेदार कसुम्बी व उसके पति सोनाराम का वारिस माना जा सकता है। अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत होने की जानकारी आरम्भ से ही रेसपो. संख्या 1 से 8 को रही है, मगर उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रथम अपील स्वीकार करने में विधिक भूल की गयी है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट पाताराम के अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश के जरिये म्युटेशन खारिज कर दिये जाने की बात नहीं बतायी और मात्र जांच चलना बताते रहे और जांच के बाद ही निर्णय होने बाबत कहते रहे। गांव में पटवारी हळका द्वारा अपीलाण्ट पाताराम को विचारण न्यायालय द्वारा म्युटेशन खारिज कर दिये जाने बाबत बताये जाने पर अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के पास गुडामालानी गया और उनके द्वारा दिनांक 02 मई 2024 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2023 की नकल लेकर देने व पढकर सुनाने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। तब बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने और अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेसपो. ने आलौच्य अपील मियाद-बाधित होने के आधार पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपीलाण्ट पाताराम को वादग्रस्त भूमि की पूर्व खातेदार कसुम्बी अथवा उसके पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में दत्तकग्रहण किया जाना किसी ठोस आधार पर सिद्ध नहीं होता है। कसुम्बी के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में मात्र कयासी आधार पर गोदपुत्र मानते हुए म्युटेशन स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट पाताराम के कथनाराम यदि कसुम्बी के पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट पाताराम को दत्तकग्रहण कर लिया गया था तो स्वयं सोनाराम के देहान्त के समय कसुम्बी के साथ बतौर दत्तकपुत्र अपीलाण्ट पाताराम का नाम वादग्रस्त आराजी बाबत जरिये म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्यों नहीं हुआ। अधिवक्ता-रेसपो. ने जाहिर किया कि वस्तुतः चिमना, सोना व रावता पिसरान रखाराम परस्पर सगे भाई थे और वादग्रस्त आराजियात में भूमि सोनाराम को अपने 1/9 हिस्से अनुसार बंटवारे में प्राप्त हुई थी। सोनाराम व उसकी पत्नी कसुम्बी के कोई जायन्दा संतान नहीं थी और न ही उनके द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को दत्तकग्रहण किया गया था। उनकी वृद्धावस्था में चिमनाराम व रावताराम और उनके वारिसान द्वारा ही सोनाराम व कसुम्बी की सेवा-चाकरी और वादग्रस्त भूमि की देखभाल की जाती रही और सोनाराम व कालान्तर में कसुम्बी का देहान्त होने पर इनके द्वारा ही अंतिम क्रिया और अन्य रस्म अदायगी की गयी और खर्चा वहन किया गया। अपीलाण्ट पाताराम के पक्ष में न तो कोई गोदनामा पंजीबद्ध कराया गया और न ही कोई गोदनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट अपने पक्ष में वसीयत का जिक्र करता



अतिरिक्त सहाय्यीय अनुबन्ध
जोधपुर

है मगर ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन किसी वसीयत के आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया, अपितु अपीलाण्ट पाताराम को गोदपुत्र दर्शाते हुए स्वीकृत किया गया है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत: एवं न्यायोचित पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट पाताराम स्वयं को करीब 35 साल पूर्व वादग्रस्त भूमि की खातेदार कसुम्बी के पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में विधिवत दत्तकग्रहण किया जाना तथा स्वयं कसुम्बी द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयतनामा होना बताया जा रहा है, किन्तु आलौच्य म्युटेशन ग्राम पंचायत द्वारा किसी वसीयतनामा के आधार पर स्वीकृत किया जाना प्रकट नहीं होता है। दत्तकपुत्र होने संबंधित अपने कथन की ताईद में अपीलाण्ट द्वारा गोदनामा संबंधित कोई दस्तावेज या अन्य कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस बाबत कोई युक्तियुक्त कथन किया गया है कि यदि कसुम्बी के पति सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट पाताराम को दत्तकग्रहण कर लिया गया था तो स्वयं सोनाराम के देहान्त के समय कसुम्बी के साथ बतौर दत्तकपुत्र अपीलाण्ट पाताराम का नाम वादग्रस्त आराजी बाबत जरिये म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्यों नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पाताराम को गोदपुत्र मानते हुए स्वीकृत म्युटेशन खारिज करने एवं मामले में धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत संबंधित तहसीलदार द्वारा जांच कर कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक मानते हुए प्रकरण संबंधित तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मियाद के बिन्दु पर भी आलौच्य अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बाबत कोई ठोस, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

